

OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

ORDER

Order No. 12/24-2015 Admn. (2)

Dated, Panchkula the 30.05.2022

In compliance of Chief Minister Grievances Redressal Cell letter No. 03/01/2017-6GC dated 29.04.2017; Sh. Rakesh Sandhu, HCS, Joint Director Admn. is hereby appointed as Nodal Officer in place of Sh. Vivek Kalia, HCS, Additional Director Admn.-II for CM Window, CM Social Media Grievances Redressal System, Sugam Sampark/ Harsamadhan/ CP Gram of Directorate of Secondary Education Haryana, Panchkula in addition to his present duties with immediate effect.

Contact No. of the officer is as under:-

Sr. No.	Name & Designation	Telephone No. and Mobile No.
1.	Sh. Rakesh Sandhu, HCS, Joint Director Admn.	0172-2560289 9416365663

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 7/6/22

A copy is forwarded to the following for the information and necessary action:

1. Under Secretary to Govt. of Haryana, Chief Minister's Grievances Redressal Cell, Haryana, Chandigarh w.r.t. their letter No. 03/01/2017-6GC dated 29.04.2017.
2. Sh. Vivek Kalia, HCS, Additional Director Admn.-II, O/o Director General Secondary Education Haryana, Panchkula.
3. Sh. Rakesh Sandhu, HCS, Joint Director Admn., O/o Director General Secondary Education Haryana, Panchkula with the copy of letter No. 03/01/2017-6GC dated 29.04.2017.
4. Director, SCERT Haryana, Gurugram.
5. All the District Education Officer/District Elementary Education Officer in the State of Haryana.
6. PS/ACSSE.
7. PS/DGSE
8. PA/DEE.
9. PA/Additional Director Model Sanskriti Schools.
10. PA/Additional Director Admn.- II.
11. PA/Additional Director (Academic).
12. All Officers/Superintendents in the Directorate.
13. IT Cell (HQ) (For the purpose of uploading).

Assistant Director Admn.
O/O DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

7/6/22

Seeta
Awasthi

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No 20/117-2022 PGT-IV (2)

Dated, Panchkula, 07.06.2022

Child Care Leave of Smt. Meenakshi, PGT Geography, GSSS Sangahera, Rohtak is hereby granted Child Care Leave from 15.07.2022 to 18.03.2024 (612 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. Ganesan
Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 7/6/22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer Rohtak w.r.t. their letter No E-2/2022/193 dated 03.06.2022 with the direction to attach the Service Profile of applicant with the case, in future.
2. Principal, GSSS Sangahera, Rohtak.
3. Smt. Meenakshi, PGT Geography, GSSS Sangahera, Rohtak with the direction to send the case with full details (with employee id, school code) in future
4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate


**Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development
 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 23/9-2022 HRME -I (4)

Dated, Panchkula, the 30-05-2022

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department's letter No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 7.1.2009 forwarding therewith notification dated 31.12.2008 for implementation of terms and condition laid down under Rule 8 & 11 of Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2008 **Sh. Randhir Singh, Clerk (Retd.), GSSS Singhwa Khas, Hisar** is hereby granted **3rd ACP in the ACPL-7 w.e.f. 01.05.2015 as Clerk on completion of 24 years regular satisfactory service.**

VIVEK KALIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II
O/o DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 07.06.22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Treasury Officer, Hisar.
2. District Education Officer, Hisar w.r.t. his office memo. No. E-3/2022/423 dated 29.03.2022. The service book & personal file of the official is returned herewith.
3. Principal, GSSS Singhwa Khas, Hisar.
4. Sh. Randhir Singh, Clerk (Retd.), GSSS Singhwa Khas, Hisar.
5. IT Cell.

SUPERINTENDENT HRME-I
O/o DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

Order No. 2/33-2021 PGT-IV (3)

Dated, Chandigarh, 26.05.2022

In continuation of Order No. 2/33-2021 PGT-IV (3), dated 01.08.2021 vide which Smt Juhi Kaushal, PGT-Chemistry, Govt. Sr. Sec. School, Tandi, Kullu, Himachal Pradesh was deputed at DIET Sector-2, Panchkula, for one year as per Chapter X of Haryana Civil Services (Foreign Services and Deputation) Rules, 2016 is now hereby extended for further three years.

**Dr. Mahavir Singh
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department
Chandigarh**

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 7/6/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. The Secretary (Education), Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.
2. Directorate Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla.
3. The Director, SCERT Gurugram.
4. The Consultant, Teacher Education Cell.
5. Principal, DIET Sector-2, Panchkula.
6. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Tandi (Kullu) H.P.
7. Smt Juhi Kaushal, PGT Chemistry, DIET Sector-2, Panchkula.
8. I.T. Cell for uploading the orders on the website of Department.


**Dy. Superintendent, PGT-IV
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार
Directorate of Secondary Education
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana-134109(India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

To

District Education Officer,
 Fatehabad, Jind & Karnal.

Memo No. 2/2-2022 HRME – II (5)
 Dated Panchkula the:-

Subject:- Appointment under Ex-gratia policy.

Kindly refer to the subject cited above.

It is intimated that the Govt has decided to issue appointment to the following dependents of deceased government employees under Haryana Civil Services (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Rules, 2019 to the post of Group D:-

Sr. No.	Name of Candidate	District to be allotted
1	Smt. Nirmla Devi W/o Late Sh. Ram Mehar, R/o Village and PO Samain, Tehsil Tohtana, District Fatehabad	Fatehabad
2	Sh. Naseeb S/o Late Sh. Wazir Singh, Sweeper-cum-Chowkidar, DEO Jind R/o Village-Brar Kheera, PO-Buwana, District Jind	Jind
3	Sh. Devender S/o Late Sh. Shiv Kumar, Peon-cum-Chowkidar, GMS, Pakhana (Karnal) R/o V& PO Shamgarh, Tehsil-Nilokheri, District Karnal	Karnal

Therefore, you are directed to issue appointment letters to who are the dependents of Deceased Govt. employee against vacancy immediately. It is also advised that the verification of their documents i.e. medical fitness, original certificates of educational qualification, character certificate up to the satisfaction of service rules and the following terms and conditions must be depicted in his appointment letter:-

1. Verify the documents of educational quification, certificate of resident of Haryana, NOC of any criminal case no pendency of court case and must verify the character certificate of candidate prior to issue appointment letter.
2. Before issue appointment letter must be verify the medical certificate which is issued by the concerned Civil Surgon.
3. The appointment should be issued against the vacant post.
4. Must be checked the prescribed age of the candidate before issue appointment letter.
5. At any time if found any suspicious regarding his character his services will be terminated without any notice.
6. Service rules of Haryana Civil Services Rules, 2016, Rules, 1994, Rules 1998 and instructions issued by the Haryana Government from time to time must be obeyed by the candidate.
7. No TA/DA will be entitled for this appointment.

8. The candidate must file an affidavit regarding his marital status, if he married then must be submitted an affidavit regarding only one alive spouse prior to issue appointment letter.
9. The terms and conditions specified by the department regarding seniority and any amendment in the rules must be obeyed by the candidates.
10. The probation period must of two years and if found at any stage any adverse regarding character then the probation period can be extended.
11. The services can be terminated without any notice if found any wrong statement at any time.
12. Candidate must be file a set of educational certificates and must be shown original certificates to the competent authority.
13. This appointment will be on provisional basis against the temporary post and as and when the permanent post will be vacated according to his seniority and good service record he will be confirmed.
14. If the candidate tendered his resignation he must file one month notice or one month emoluments alongwith all allowances.
15. New pension scheme will be applicable to the appointee.
16. If the candidate agrees with all the above terms and conditions then the joining report be submitted to the competent authority by the candidate.

A copy of appointment letter and joining report of candidate be filed to this office immediate after his joining.


**Budget Officer
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst. Even

Dated; Panchkula the 6-6-22.

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Superintendent Pension Branch (Secondary/Elementary Education) w.r.t their recommendation no. Vide order No 9/56-2019 P-I(2) dated 21.04.2022, Vide order NO. 9/146-2021 P-I(2) dated 06.05.2022, Vide order NO. 9/210-2021 P-I(2) dated 16.05.2022.
2. IT Cell.


**Budget Officer
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula.**





सेवा मे,

Headmaster GHS Mulodi [3956], Mahendergarh
Principal GSSS Bayal [3789], Mahendergarh
Principal GSSS Akbarpur [3855], Mahendergarh

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)
दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय BaLa (Building as Learning Aid) Revalidation Sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक KW 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष Building as learning Aid अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Mulodi [3956]	Building as learning Aid	300000.00
2 GSSS Bayal [3789]	Building as learning Aid	300000.00
3 GSSS Akbarpur [3855]	Building as learning Aid	300000.00
	कुल राशि	900000.00

स्कीम में सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख में करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनो के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकूला:- 30-5-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी महेन्द्रगढ।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



सेवा में,

Principal, GSSS Dharsul Kalan [3404], Fatehabad

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)

दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक KW 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष Building as learning Aid अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Dharsul Kalan [3404]	Building as learning Aid कुल राशि	300000.00 300000.00

स्कीम में सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख में करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनों के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकूला:- 20.5.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, फतेहाबाद।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी, फतेहाबाद।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



सेवा में,

Principal GMSSSS Nighdu [1800], Karnal
Principal GMSSSS Gharaunda [1782], Karnal

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)
दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Nighdu [1800]	Renovation and round table arrangement with Mic system complete in all respect in multi purpose hall	496000.00
2 GMSSSS Gharaunda [1782]	Electrical fitting in 10 class rooms and sanitory & toilet	298000.00
	कुल राशि	794000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला 30.05.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल।
- 5 जिला खजाना अधिकारी करनाल।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।



उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS - Amargarh [1729] Jind
Principal GHS - Hamirgarh [1739] Jindयादी क्रमांक 2/53-2022 works (1)
दिनांक पंचकुला 27-05-2022विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष/BaLA
2022-23 (Recurring/Non-Recurring)


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 works (1) दिनांक 27.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 Principal GSSS - Amargarh [1729] Jind	Bala Building as learning Aid	300000.00
2 Principal GHS - Hamirgarh [1739] Jind	Bala Building as learning Aid	300000.00
	कुल राशि	600000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई-मेल शाखा के साथ सांझा करें ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 31 अगस्त, 2022 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



सहायक निदेशक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 27.05.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त उपायुक्त जीन्द
- 2 जिला खजाना अधिकारी जीन्द
- 3 उप खजाना अधिकारी नखाना
- 4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 5 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 7 जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 11 इन्चार्ज अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



सेवा मे,

Principal GMSSSS Sampla [2679] (Rohtak)

यादी क्रमांक 2/54-2022 Works (1)

दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2022-23
(Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/54-2022 Works (1) दिनांक 18.04.2022 के अर्न्तगत व्यवस्थित 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन राशि आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु सरकारी खजाना कार्यालय से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Sampla [2679]	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम मे यह राशि खजाना कार्यालय से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। प्रस्तावित राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के सम्बन्ध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Non-Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/54-2022 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 30.5.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, रोहतक।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

Samjeokumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



सेवा में,

Principal GSSS Rajlugarhi [3489], Sonapat

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)
दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक KW 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष Building as learning Aid अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Rajlugarhi [3489]	Building as learning Aid कुल राशि	300000.00 300000.00

स्कीम में सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख में करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनों के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकूला: 30.05.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला



सेवा मे,

Principal GSSS – Naina [1255] Hisar
Principal GSSS – Sikarpur [1411] Hisar
Principal GSSS – Satrod Khurd [1499] Hisar
Principal GSSS – Talwandi Rukka [1490] Hisar

यादी क्रमांक 2/53-2022 works (1)

दिनांक पंचकुला 27-05-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष/BaLA
2022-23 (Recurring /Non-Recurring)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 works (1) दिनांक 27.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 Principal GSSS – Naina [1255] Hisar	Bala Building as learning Aid	300000.00
2 Principal GSSS – Sikarpur [1411] Hisar	Bala Building as learning Aid	300000.00
3 Principal GSSS – Satrod Khurd [1499] Hisar	Bala Building as learning Aid	300000.00
4 Principal GSSS – Talwandi Rukka [1490] Hisar	Bala Building as learning Aid	300000.00

कुल राशि

1200000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई-मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-


- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 31 अगस्त, 2022 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Signature
सहायक निदेशक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
- 2 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 3 उप खजाना अधिकारी आदमपुर/अगरौहा/बरवाला/बास/हांसी/नारनौद/उकलाना/नारनौद
- 4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 5 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 7 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जायें।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 11 इन्चार्ज अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



सेवा मे,

Principal GMSSS Panchkula (Sarhak Model) Sector -12 A [4300] Panchkula

यादी क्रमांक 2/54-2022 Works (1)

दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय **Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/54-2022 Works (1) दिनांक 18.04.2022 के अर्न्तगत व्यवस्थित 1000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन राशि आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु सरकारी खजाना कार्यालय से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSS Panchkula (Sarhak Model) Sector -12 A [4300]	Installation of Solar Panel	1871600.00
	कुल राशि	1871600.00

स्कीम मे यह राशि खजाना कार्यालय से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। प्रस्तावित राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के सम्बन्ध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Non-Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

~~Sanjeev Kumar~~
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



सेवा में,

Principal GGHS Isharwal [464], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGHS Isharwal [464]	Construction of main gate कुल राशि	213000.00 213000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी।
- 5 जिला खजाना अधिकारी भिवानी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

4/7/22
Audhish


Sanku Kumbh
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS Charkhi Dadri [377] Charkhi Dadari

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)
दिनांक पंचकुला 26-05-2022

विषय BaLa (Building as Learning Aid) Revalidation Sanction under **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक KW 2/52-2022 Works () दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष Building as learning Aid अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Charkhi Dadri [377]	Building as learning Aid	300000.00
	कुल राशि	300000.00

स्कीम मे सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख मे करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनो के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजा होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sampal Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला:- 28.05.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त चरखी दादरी।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, चरखी दादरी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी चरखी दादरी।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।


Sampal Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal, GGSSS Bapoli [2133], Panipat
Principal, GSSS Dadhola [2088], Panipat

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)
दिनांक पंचकुला 26-05-2022

विषय BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एक्टरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक KW 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष Building as learning Aid अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Bapoli [2133]	Building as learning Aid	300000.00
2 GSSS Dadhola [2088]	Building as learning Aid	300000.00
	कुल राशि	600000.00

स्कीम मे सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख मे करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनो के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला:- 26-05-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी पानीपत।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



सेवा मे,

Principal GSSS Firozpur Namak [796], Nuh

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)
दिनांक पंचकुला 26-05-2022

विषय BaLa (Building as Learning Aid) Revalidation Sanction under **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक KW 2/52-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष **Building as learning Aid** अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Firozpur Namak [796]	Building as learning Aid	300000.00
	कुल राशि	300000.00

स्कीम में सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख में करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनो के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला:- 26.05.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त मेवात।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी मेवात।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।



उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS Siswala [1334], Hisar

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)
दिनांक पंचकुला 26-05-2022

विषय BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक KW 2/52-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष Building as learning Aid अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Siswala [1334]	Building as learning Aid	300000.00
	कुल राशि	300000.00

स्कीम मे सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देख-रेख मे करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनो के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Samleekumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकूला: 26-05-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी हिसार।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।


Samleekumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Chhachhrarauli [205], Yamuna Nagar

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)
दिनांक पंचकुला 18-05-2022

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Wcrks (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS- Chhachhrarauli (Yamuna Nagar)	Minor Work	600000.00
कुल राशि		600000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में इस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


 उप अधीक्षक निर्माण
 कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला

सकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर।
- 5 जिला खजाना अधिकारी यमुनानगर।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण


कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGHS Kaul [2267], Kaithal

यादी क्रमांक kw 2/53-2022 works (1)

दिनांक पंचकुला 01-06-2022

विषय Revalidation Sanction under BaLa (Building as Learning Aid) माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 Non-Recurring.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक kw 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष Building as learning Aid अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGHS Kaul [2267]	Building as learning Aid	300000.00
	कुल राशि	300000.00

स्कीम में सह राशि खजाने से निकलवाकर BaLA (Building as Learning Aid) के लिए गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकार की देख-रेख में करवाया जाये। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों में BaLA (Building as Learning Aid) भवनो के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक kw2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला:- 1-06-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि BaLA (Building as Learning Aid) का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 6 जिला खजाना अधिकारी कैथल।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS Samar Gopalpur [2680], Rohtak

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकूला 30-05-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तवित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Samar Gopalpur [2680]	Inter locking tile in prayer ground	499880.00
2 GSSS Samar Gopalpur [2680]	Toilet repair, new toilet & water	498900.00
3 GSSS Samar Gopalpur [2680]	Tree ground and park railing	488100.00
4 GSSS Samar Gopalpur [2680]	Const. of B/wall	498500.00
	कुल राशि	1985380.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंड जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक।
- 5 जिला खजाना अधिकारी रोहतक।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentतमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS Pehrawar [2748], Rohtak

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 30-05-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Pehrawar [2748]	Major Repair & inter locking tile कुल राशि	494980.00 494980.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होता उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक।
- 5 जिला खजाना अधिकारी रोहतक।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Samir Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।